भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र / Nuclear Fuel Complex
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना, अनुभाग / CHSS Section

सं Ref: NFC/CHSS/04/01/2023/932 Date: 03/12/2024

परिपत्र CIRCULAR

विषय/ Sub: आश्रित लाभार्थियों (संतान एवं माता- पिता / सास-ससुर) हेतु सीएचएसएस सुविधा के नवीकरण के संबंध में। Renewal of CHSS facility in respect of Dependent beneficiaries (Children and parents/ parents -in-law) – Reg.

****

सीएचएसएस नियमों के अनुसार, सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सीएचएसएस योजना के सदस्य हैं, उन्हें सीएचएसएस सुविधाओं को जारी रखने हेतु सीएचएसएस कार्ड का नवीकरण करने के लिए उनपर आश्रित माता-पिता, सास-ससुर, 18 से 25 वर्ष के बीच की आयु के संतानों और अन्य आश्रितों की आय एवं आवास के संबंध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। In accordance with the CHSS Rules, every serving and retired employee, who is a member of CHSS scheme has to invariably submit a declaration regarding income and residence of their dependent parents, parents-in-law, children aged between 18 and 25 years of age and other dependents while renewing their CHSS cards for the purpose of continuation of CHSS facilities.

2. तदनुसार, जिन कर्मचारियों ने सीएचएसएस सुविधा के लिए अपनी संतान, माता-पिता/ सास-ससुर और अन्य आश्रित संबंधियों को पंजीकृत करवाया है और जिनके कार्डों की वैधता दिनांक 31.12.2024 को समाप्त होने वाली है, तो उन्हें एनएफसी इन्ट्रानेट और इन्टरनेट दोनों पर उपलब्ध CHSS HIMS Portal के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। Accordingly, employees who have registered their children, parents/parents-in-law and other dependent relatives, the validity of whose cards are due to expire by 31.12.2024 shall submit the applications in CHSS HIMS portal, which is presently available on both NFC Intranet and Internet.

3 (i) एनएफसी के इन्ट्रानेट के माध्यम से आवेदन करने के लिए : सीएचएसएस लाभार्थी https://beneficiary.nfc.gov.in पर लॉगइन कर सकते हैं। उक्त पोर्टल पर लॉग-इन करने के लिए क्रेडेंशियल इस प्रकार हैं : **For applying through NFC Intranet:** CHSS beneficiaries shall login to https://beneficiary.nfc.gov.in. Credentials to login the said portal are as follows:

प्रयोक्ता का नाम / यूजर आईडी User name/ user ID	सीएचएसएस संख्या के प्रथम पाँच (05) अंक First 05 (five) digits of CHSS number
पासवर्ड Password	मुख्य लाभार्थी की जन्मतिथि DDMMYYYY प्रारुप में Date of birth of prime beneficiary In DDMMYYYY format

Cont..2..

(ii) इंटरनेट के माध्यम से आवेदन करने के लिए : सीएचएसएस लाभार्थी अपना आवेदन ऑनला-इन जमा करने के लिए https://amruthyd.in पर भी लागइन कर सकते हैं। उपरोक्त पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए क्रेडेंशियल इस प्रकार हैं : **For applying through Internet:** CHSS beneficiaries may also login to https://amruthyd.in for submitting their application Online. Credentials to login the above portal are as follows:

प्रयोक्ता का नाम / यूजर आईडी User name/ user ID	सीएचएसएस संख्या के प्रथम पाँच (05) अंक First 05 (five) digits of CHSS number
पासवर्ड Password	मुख्य लाभार्थी की जन्मतिथि DDMMYYYY प्रारुप में Date of birth of prime beneficiary In DDMMYYYY format

नोट / Note: 1.इंटरनेट सिस्टम को captcha (एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा) के साथ डिजाइन किया गया है। इंटरनेट पर प्राप्त आवेदनों को संसाधित करने में समय की देरी (अधिकतम कुछ घंटे) हो सकती है। Internet system is designed with captcha (an additional security feature). A time delay (max few hours) may happen to process applications received on Internet.

2.यह पोर्टल वर्तमान में किसी भी कार्य दिवस पर 0900 बजे से 1700 बजे के बीच उपयोग के लिए उप्लाम्ध होगा| This portal will be presently available for use between 0900 Hrs to 1700 Hrs only on any working days.

4. उपरोक्त के अवाला, सीएचएसएस लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने में मदद करने के लिए सीएचएसएसएस अनुभाग संजीवनी के पास एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है। लाभार्थी अपने आश्रित के संबंध में अपेक्षित दस्तावेज़ (सॉफ्ट/हार्ड) लाएंगे ताकि उन्हें HIMS पोर्टल पर आगे जमा/अपलोड किया जा सके। कृपया ध्यान दें कि नवीकरण के लिए कोई भी भौतिक आवेदन सीएचएसएस अनुभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। In case of any assistance/support while using the above module, CHSS beneficiaries are requested to contact helpdesk on 040-27183245. In addition to the above, a help desk is established near CHSS section, Sanjivini, to help CHSS beneficiaries to submit the application online. Beneficiaries shall bring the requisite documents (soft/hard) in respect of their dependents for further submission/upload into HIMS portal. It may please be noted that no Physical application for renewal will be entertained by CHSS section.

5. सीएचएसएस लाभार्थी (स्वयं और आश्रित) जिनके सीएचएसएस कार्ड की वैधता 31.12.2024 को या उससे पहले समाप्त हो रही है, वे **16.12.2024** को या इससे पहले अपेक्षित दस्तावेज़ अपलोड करके उक्त पोर्टल का उपयोग करके अपने सीएचएसएस कार्ड को नवीनीकृत करने के लिए आवेदन करें। इससे सीएचएसएस अनुभाग को समय पर नए कार्ड प्रदान करने और योजना के तहत निर्बाध चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। CHSS beneficiaries (self and dependents) whose CHSS card validity is getting expired by 31.12.2024 shall apply renewal their CHSS cards using the said portal by uploading the requisite documents **on or before 16.12.2024.** This will enable CHSS section to provide new cards in time and also to ensure uninterrupted medical services under the scheme.

6. माता – पिता / सास-ससुर और बच्चों के सीएचएसएस कार्ड के नवीकरण के लिए आवेदन करते समय. निम्नलिखित दस्तावेज़ों को HIMS-II सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होगा : While applying for renewal of parents/parents-in-law and children CHSS cards, the following documents need to be uploaded in HIMS-II software:

Cont..3..

माता-पिता/सास-ससुर parents/ parents-in-law	--	(i) आयकर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए ITR की पावती औरITR acknowledgement for the Assessment year 2024-25 of both & (ii) स्थानीय पते का प्रमाण (*) Local Address Proof (*)
बच्चों के लिए Children	18 वर्ष की आयु तक Up to Age 18 Yrs	(i) स्कूल/कॉलेज का वास्तविक प्रमाणपत्र या पहचान पत्र या शुल्क भुगतान की रसीद Bonafide certificate OR ID card of School / College OR fee payment receipt & (ii) स्थानीय पते का प्रमाण (*) Local Address Proof (*)
	18 वर्ष से अधिक (अध्ययनरत) Above 18 Yrs (Studying)	(i) कॉलेज का वास्तविक प्रमाणपत्र Bonafide certificate of College & (ii) स्थानीय पते का प्रमाण (*) Local Address Proof(*)
	18 वर्ष से अधिक आयु वाले जो (अध्ययनरत नहीं है) Above 18 Yrs (Not Studying)	(i) आयकर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए ITR की पावती और हलफनामा ITR acknowledgement for the Assessment year 2024-25 & Affidavit, (ii) स्थानीय पते का प्रमाण (*) Local Address Proof(*)

*प्रधान लाभार्थी के साथ माता-पिता के बच्चों के निवास को स्थापित करने के लिए प्रमाण के रूप में उक्त दस्तावेज़ों में से कोई एक प्रस्तुत करना आवश्यक है – आधार कार्ड/पासपोर्ट/मतदाता पहचान पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक/राशन कार्ड की प्रति। ***In order to establish the residency of parents/children with the prime beneficiary, it is necessary to submit any of the said documents as a proof - Aadhar / Passport / Voter ID / Copy of Nationalized Bank Passbook / Ration Card.***

7. सीएचएसएस मैनुअल के नियम संख्या 4.2.2 के अनुसार, परिवार के किसी भी सदस्य के योजना के लाभ के लिए अपात्र होते ही सीएचएसएस, एनएफसी को सूचित करना तथा कार्ड को सरेंडर करना संबंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी। कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अंतिम माना जाएगा तथा यदि विवरण गलत पाया जाता है, तो लाभार्थी को प्रदान किए गए उपचार पर संपूर्ण लागत के अलावा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वांछित अवधि के लिए सीएचएसएस कार्ड रद्द करने के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी बनाया जाएगा। As per rule No.4.22. of CHSS manual, it shall be the responsibility of the employee concerned to notify the CHSS, NFC as soon as any member of the family becomes ineligible for the benefits of the scheme and to surrender the cards. The application submitted by the employee will be treated as final and in case the details found to be false, the entire cost on the treatment rendered to the beneficiary will be made liable for disciplinary action apart from cancellation of CHSS cards for a period as desired by the competent authority.

8. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority, NFC.

03/12/2024

(डी. श्रीनिवासराव / D. Srinivas Rao)
प्रशासनिक अधिकारी-III /Administrative Officer-III

<u>सभी संयंत्र / अनुभाग All Plants / Sections</u>
<u>सभी सूचना पट्ट / All Notice Boards</u>

Cont..4..

<u>प्रतिलिपि Copy to:</u>

मुख्य कार्यपालक, नाईस- सादर सूचनार्थ
CE, NFC - For kind information please.
सभी उप मुख्य कार्यपालक / परि .निदे. जेडसी /.पलय/.महा.प्रबं /क्षे.नि,क्रभनिहैए /उपमहा.प्रबं /प्रधान/वरि.प्रबं/प्रबं/.उपप्रबं/.कार्या.प्रभारी
DCEs/PD, ZC(P)/GMs/RD, HRPSU / DGMs / Heads / SMs / Mgrs / DMs /OICs

प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग / (मुख्य चिकित्सा अधीक्षक) ओएचसी ,कोटा व जेडसी /(मुख्य चिकित्सा अधीक्षक)सी एच सी व सी एच एस एस / (मुख्य चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी ,नाईंस
Head, Medical Division/CMS(OHC) /MS(CHC & CHSS) / CMO / Medical Officer's, NFC

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ,नाईंस CAO, NFC
संयुक्त नियंत्रक (वित्त व लेखा) JC (F & A), NFC
उप महानिरीक्षक ,पऊवि मुख्यालय/समादेष्टा ,कें.औ.सु.ब
DIG, DAE Headquarters/Commandant, CISF

महासचिव, नाईसऔ.का.संघ/ General Secretary, NFC IWU

अध्यक्ष ,नाईंस प र्य.कर्म.संघ /नाईंस वैज्ञा.सहा.संघ/ नाईंसअधिकारी संघ President, NFCSSA/NFCSAA/ NUFCOA

<u>सूचनार्थ प्रति:</u>
<u>Copy also for information to:</u>

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, प ख नि, हैदराबाद
CAO, AMD, Hyderabad

प्रशासनिक अधिकारी, टीआईएफआर, हैदराबाद
Administrative Officer, TIFR, Hyderabad

प्रभारी वैज्ञानिक, सीसीसीएम, हैदराबाद
Scientist-in-Charge, CCCM, Hyderabad

प्रमुख, आरसी, जोनाकी, ब्रिट, हैदराबाद
Head, RC, Jonaki, BRIT, Hyderabad
प्राचार्य, एईसीएस-I/II, हैदराबाद
Principal, AECS-I/AECS-II, Hyderabad

प्रभारीअधिकारी, एनपीसीआईएल,ईसीआईएलकैंपस, हैदराबाद
Officer-in-Charge, NPCIL, ECIL Campus, Hyderabad

आईआईडब्ल्यू, पऊवि, हैदराबाद
IIW, DAE, Hyderabad
प्रबन्धक-क्रय, आरपीयू) एम (शहरकार्यालय, नाईसपरिसर, हैदराबाद
Manager-Purchase, RPU (M) City Office, NFC Premises, Hyderabad